



लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)  
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह**, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/11/2018 (सू.अ.)

पंजीयन दिनांक:- 17.01.2018

श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

**निर्णय**

**दिनांक 09.02.2018**

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 28.10.2017 को रजिस्टर्ड डाक से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 11/2018/(09.02)/71 दिनांक 17.01.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 09.02.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 09.02.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

अपीलार्थी ने स्वयं उपस्थित होकर जरिये पत्रांक 49 दिनांक 09.02.2018 से अपना पक्ष रखा कि अपीलार्थी वांछित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है अतः वांछित सूचना दिलाई जावे।



लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/84 दिनांक 02.02.2018 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैं:-

1. यह है कि प्रार्थी श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन पत्र दिनांक 28.10.2017 को प्रस्तुत किया जो इस कार्यालय में दिनांक 06.11.2017 को प्राप्त होना सही है।
2. यह है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र से चाही जा रही सूचना के सभी बिन्दु प्रश्नात्मक होने से इस कार्यालय के पत्रांक/ एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1673 दिनांक 27.11.2017 से सूचित कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के परिपत्र क्रमांक/प-3(22)प्रसू/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के तहत व्यवस्था दी है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकरण के पास पहले से मौजूद है। (पत्र की छायाप्रति संलग्न है।)
3. यह है कि प्रार्थी को सूचना के संबंध में जानकारी से अवगत करा दिये जाने से अब कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः प्रस्तुत प्रथम अपील पर जवाब स्वीकार कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से अपील को निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, जवाब तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2018/84 दिनांक 02.02.2018 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नक का अवलोकन कर उस पर मनन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना



प्रकरण संख्या 11/2018 (सू.अ.)
श्री गंगाधर सोलंकी निवासी चित्तौड़गढ़ बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक/प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार "सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।" जिससे अपीलार्थी को, लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1673 दिनांक 27.11.2017 से सूचित किया जा चुका है।

चूंकि अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2017/1673 दिनांक 27.11.2017 से सूचित किया जा चुका है जिससे अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

(इन्द्रजीत सिंह)

आई.ए.एस.

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./11/2018(सू.अ.)/  
प्रतिलिपि:-

दिनांक:- / /2018

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री गंगाधर सोलंकी निवासी 91, न्यू क्लॉथ मार्केट, चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी  
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)